राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2398/2024

जितेन्द्र सोनी

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राजय जरिये कलेक्टर, राजस्व विभाग, कार्यालय जिला कलेक्टर, नागौर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2024
आदेश की दिनांक : 26.07.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थिया की ओर से : श्री संजीव कुमार सिंघल, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (संवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की पदोन्नति अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर किये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी का पदस्थापन आलोच्य आदेश दिनांक 18.07.2024 (अनुलग्नक–1) से तहसील कार्यालय, मकराना से उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय लाडनू किया गया है। उक्त पदस्थापन आदेश को अपीलार्थी ने इस अपील में चुनौती दी है। अपीलार्थी का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को अपने निवास स्थान से 105 किमी. दूर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के दो संतानें हैं, जो नांवा शहर में अध्ययनरत हैं। अपीलार्थी की माता हृदय रोग से पीड़ित है, जिनके उपचार के लिए समय–समय पर उन्हें नांवा में डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। अपीलार्थी को दूर स्थानांतरण/पदस्थापन किये जाने से अपीलार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को

यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)